सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 123 राँची, सोमवार, 4 मार्च, 2024 (ई०)

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग

अधिसूचना

4 मार्च, 2024

संख्या-01/निर्वा०(रा०स०)-18-02/2024/01--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के आलोक में राष्ट्रपतीय अधिसूचना सं. संख्या एच.11024/01/2023-वि.2, दिनांक-04/03/2024; भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-318/रा.स.-झारखण्ड/2024 (1) दिनांक-04/03/2024 एवं अधिसूचना संख्या-318@ रा.स.-झारखण्ड@2024 (2) दिनांक-04/03/2024 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है ।

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

4 मार्च, 2024

का.आ. .....(अ).--राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के ऐसे सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को निवृत्त हो रहे हैं, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :--

सारणी

क्र.सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	झारखंड	02	03.05.2024

[फा०सं० एच-11024/01/2023-वि.2]

सुधा रानी रेलंगी,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

4 मार्च, 2024/फाल्गुन 14, 1945 (शक)

सं. 318/रा.स.-झारखण्ड/2024 (1)--यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 04 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा झारखण्ड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि 03 मई 2024 को **02 (दो) सदस्यों** की पदावधि के अवसान पर उनकी सेवानिवृत्ति के कारण राज्य सभा में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए झारखण्ड राज्य से उस सदन के लिए दो सदस्यों को निर्वाचित कर दें;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख	- 11 मार्च 2024 (सोमवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	-12 मार्च 2024 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	-14 मार्च 2024 (गुरुवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,	-21 मार्च 2024 (गुरुवार)
(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	-23 मार्च 2024 (शनिवार),और

(आ) 09.00 बजे पूर्वाहन से 04.00 बजे अपराहन तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

4 मार्च, 2024/फाल्गुन 14, 1945 (शक)

सं. 318@ रा.स.-झारखण्ड@2024 (2)--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग झारखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से 04 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्द्वारा-

(i) नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा

(ii) उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

<u>सारणी</u>

रिटर्निंग आफिसर के रुप में पदाभिहित अधिकारी	**सहायक रिटर्निंग आफिसर के रुप में नियुक्त अधिकारी**
(1)	(2)
श्री सैयद जावेद हैदर, प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची	**श्री रंजीत कुमार,** संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- सचिव

CABINET (ELECTION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

4th March, 2024

No.- 01/निर्वा०(रा०स०)-18-02/2024/01--The following Presidential Notification under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), issue in H.11024/01/2023-Leg.II, Dated-04.03.2024; Notification no. 318/CS-JH/2024(1) dated 04.03.2024 and No. 318/CS-JH/2024 (2) Dated 04.03.2024 of the Election Commission of India are published hereunder for general information.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

NOTIFICATION

4th March, 2024

S.O........ (E).- -In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against the State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:-

TABLE

Sl. No.	Name of State	No of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jharkhand	02	03.05.2024

[F.No.H.11024/01/2023-Leg.II]

Sudha Rani Relangi,

Joint Secretary & Legislative Counsel.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

4th March, 2024/Phalguna 14, 1945 (Saka)

No. 318/CS-JH/2024 (1)--Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 04th March, 2024, has been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of Jharkhand, to elect 02 (two) members to the Council of States to fill the vacancies in that House caused due to the retirement of the sitting members on 03rd May, 2024 on the expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

(A) **appoints**, with respect to the said election;

(a) the 11th March, 2024 (Monday), as the last date for making nominations;
(b) the 12th March, 2024 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
(c) the 14th March, 2024 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures**;**
(d) the 21st March, 2024 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
(e) the 23rd March, 2024 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the above mentioned State on the date specified above for the election.

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

4th March, 2024/Phalguna 14, 1945 (Saka)

No. 318/CS-JH/2024 (2)-- In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of Jharkhand, hereby-

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (1) of the TABLE below to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 04th March, 2024: -

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	**Officer Appointed as Assistant Returning Officer**
(1)	**(2)**
Sh. Sayed Jawed Haider, Secretary in-charge, Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi	**Sh. Ranjeet Kumar,** Joint Secretary, Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 123 - 50